बरेली पुलिस

थाना आंवला

प्रेस नोट
दिनांक 30.07.2025

थाना आंवला बरेली पुलिस द्वारा थाना आंवला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 544/25 धारा 103(1)/ 230/238/240 बीएनएस से संबंधित नृशन्स हत्या करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

दिनांक 31.07.2025 को श्री ओमसरन पुत्र स्व0 तेजपाल निवासी ग्राम ब्यौली थाना बजीरगंज जिला बदायूँ की लिखित तहरीर बाबत ग्राम कंथरी के पास रात्रि में करीब 12.15 बजे मोटर साईकिल से अपने घर को जाते समय 3-4 अज्ञात लोगों द्वारा रोककर उसकी पत्नी श्रीमती अमरवती से मंगलसूत्र , सोने के कुन्डल, तथा खुद से एवं उसकी पत्नी से 8-10 हजार रुपये लूट लेने तथा विरोध करने पर उसकी पत्नी श्रीमती अमरवती को धारदार हथियार से मारपीट कर गम्भीर रुप से घालय कर देने तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो जाने के संबंध में दिये जाने के आधार पर थाना आंवला, बरेली पर मु0अ0सं0 544/25 धारा 309(6)/103(1) बीएनएस बनाम 3-4 व्यक्ति अज्ञात के विरुदध पंजीकृत किया गया था। मृतका श्रीमती अमरवती के पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी बरेली भिजवाया गया । घटना की सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बरेली, श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध बरेली एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी आंवला बरेली द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया तथा विवेचना हेतु उचित दिशा निर्देश दिये गये।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:-

उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए घटना के अनावरण हेतुल थाना प्रभारी आंवला के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा वादी ओमसरन की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई, जिस पर वादी ओमसरन से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा घटना स्वीकार करते हुए बताया कि मैंने मन्नत नाम की महिला से प्रेम विवाह कर लिया है। मन्नत ने मुझसे कहा है कि यदि मुझे रखना है तो पहली पत्नी अमरवती को रास्ते से हटा दो। तब मैं योजना के अनुसार अपनी पत्नी को दिनांक 30.07.2025 को पूर्णागिरि घुमाने के लिये ले गया। वापस आते समय रात्रि का समय हो गया, तब रास्ते में मैंने अपनी ससुराल ग्राम मोतीपुर पहुंचकर अपने साले भगवानदास से उसकी मोटर साईकिल घर जाने के लिये ली तथा सुरक्षा हेतु उससे एक बाका लोहे का ले लिया जो मैंने मोटर साईकिल की डिग्गी में छिपाकर रख लिया था । ग्राम कंथरी के पास पहुंचने पर निर्जन स्थान पर रात्रि में करीब 12.15 बजे मैंने अपनी पत्नी को मोटर साईकिल से उतारकर बाकें से उस पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी तथा घटना को लूट का स्वरुप देने के लिये मैंने अपनी पत्नी के कानों में पहने सफेद धातु के झुमके , गले का लाकेट तथा मेरी जेब में रखे 10100/- रुपये बांके के साथ घटना स्थल से कुछ दूरी पर झाडियों में छिपाकर रख दिये और फोन के जरिये अपने साले भगवानदास तथा अपने मित्र अनिल यादव को सूचना दे दी गयी। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस के जरिये मैंने अपने पत्नी को इलाज के बहाने सरकारी अस्पताल आंवला में पहुंचवाया। इस प्रकार वादी मुकदमा ओमसरन द्वारा घटना का इकबाल किये जाने पर उसकी गिरफ्तारी करते हुए उसकी निशादेही पर आलाकत्ल एक बाका, कानों के झुमकें, गले का लाकेट तथा 10100/- रुपये व जामा तलाशी से एक मोबाइल फोन बरामद किये गये।

अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में वादी मुकदमा/अभियुक्त ओमसरन उपरोक्त तथा मन्नत नाम की महिला का नाम प्रकाश में लाया गया । प्रकाश में आये अभियुक्त ओमसरन (वादी मुकदमा) उपरोक्त को गिरफ्तार किया । जिसके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही जा रही है।

प्रकाश में आये अभियुक्त की गिरफ्तारी का विवरणः-

1. ओमसरन पुत्र स्व0 तेजपाल निवासी ग्राम ब्यौली थाना बजीरगंज जिला बदायूँ उम्र करीब 38 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 544/25 धारा 103(1)/ 230/238/240 बीएनएस बीएनएस थाना आंवला बरेली।

बरामदगीः-

एक बाका
कानों के झुमकें
गले का लाकेट
10100/- रुपये
एक मोबाइल फोन।

पूछताछ अभियुक्त विवरणः-

अभियुक्त ओमसरन पुत्र स्व0 तेजपाल निवासी ग्राम ब्यौली थाना बजीरगंज जिला बदायूँ ने पूछने पर बताया कि साहब मैंने मन्नत नाम की महिला से प्रेम विवाह कर लिया है। मन्नत ने मुझसे कहा है कि यदि मुझे रखना है तो पहली पत्नी अमरवती को रास्ते से हटा दो। तब मैं योजना के अनुसार अपनी पत्नी को दिनांक 30.07.2025 को पूर्णागिरि घुमाने के लिये ले गया, वापस आते समय रात्रि का समय हो गया तब रास्ते में मैंने अपनी ससुराल ग्राम मोतीपुर पहुंचकर अपने साले भगवानदास से उसकी मोटर साईकिल घर जाने के लिये ली तथा सुरक्षा हेतु उससे एक बाका लोहे का ले लिया जो मैंने मोटर साईकिल की डिग्गी में छिपाकर रख लिया था। ग्राम कंथरी के पास पहुंचने पर निर्जन स्थान पर रात्रि में करीब 12.15 बजे मैंने अपनी पत्नी को मोटर साईकिल से उतारकर बाकें से उस पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी तथा घटना को लूट का स्वरुप देने के लिये मैंने अपनी पत्नी के कानों में पहने सफेद धातु के झुमके, गले का लाकेट तथा मेरी जेब में रखे 10100/- रुपये बांके के साथ घटना स्थल से कुछ दूरी पर झाडियों में छिपाकर रख दिये और फोन के जरिये अपने साले भगवानदास तथा अपने मित्र अनिल यादव को सूचना दे दी थी।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कुंवर बहादुर सिंह थाना आंवला जनपद बरेली।
2. एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार शर्मा जनपद बरेली मय टीम।
3. सर्विलांस प्रभारी श्री सतेन्द्र मोतला जनपद बरेली मय टीम।
4. व0उ0नि0 श्री राजेश बाबू मिश्रा थाना आंवला जनपद बरेली।
5. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना आंवला जनपद बरेली।
6. उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना आंवला जनपद बरेली।
7. उ0नि0 श्री सोमपाल थाना आंवला जनपद बरेली।
8. हे0का0 963 शमशेर अली थाना आंवला जनपद बरेली।
9. का0 1781 संजीव कुमार थाना आंवला जनपद बरेली।
10. का0 3255 अमुख शर्मा थाना आंवला जनपद बरेली।